

एसओजी/सर्विलांस व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, थाना रॉबर्ट्सगंज अन्तर्गत कारोबारी व उनकी पत्नी (डबल मर्डर) के हत्या का किया सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त हत्या के मास्टर माइन्ड आरोपी सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

**प्रकरण-** दिनांक 10.08.2024 को थाना रॉबर्ट्सगंज अन्तर्गत कारोबारी धर्मेन्द्र कुमार पटेल पुत्र ईश्वरी प्रसाद उम्र लगभग 48 वर्ष तथा मंजू देवी पत्नी धर्मेन्द्र पटेल उम्र लगभग 44 वर्ष निवासी ब्रह्मनगर गली नं0-2 थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज की उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान के उपर स्थित आवास में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी थी, साथ ही हत्यारों द्वारा घर में मौजूद सोने व चांदी के आभूषण कीमत लगभग 15 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये नगद व 01 अदद रिवाल्बर 32 बोर व 06 अदद जिन्दा कारतूस, हिसाब-किताब की डायरी, बैंक खातों के पासबुक व चेकबुक तथा भिन्न-भिन्न नामों के ब्लैक चेक उठा ले गये थे। उक्त घटना के संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0 577/2024 धारा 103(1) बी.एन.एस का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गयी थी।

घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉ0 यशवीर सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री कालू सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर डॉ0 चारु द्विवेदी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज, प्रभारी निरीक्षक एसओजी, प्रभारी सर्विलांस, साइबर थाना तथा चौकी प्रभारी रेनुकूट की पुलिस टीम गठित की गयी थी। उक्त सभी टीमों द्वारा घटना के अनावरण हेतु सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज, मैनुयल जानकारी करते हुए अज्ञात अभियुक्तगण के सम्बन्ध में अथक लगन व परिश्रम के साथ आसूचना संकलन किया जा रहा था। आज दिनांक-18.08.2024 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि विगत दिनों हुई थाना रॉबर्ट्सगंज में कारोबारी धर्मेन्द्र पटेल व उनकी पत्नी मंजू पटेल की हुई हत्या का मुख्य अभियुक्त घटना में प्रयुक्त की गयी पल्सर बाइक से भागने के फिराक में है कि उक्त सूचना पर थाना प्रभारी रॉबर्ट्सगंज व चौकी प्रभारी कस्बा मय पुलिस बल के द्वारा रात्रि 12.40 बजे पल्सर बाइक भाग रहे अभियुक्त का पीछा किया, तो अभियुक्त मरकरी पुलिया के पास अनियंत्रित होकर गिर गया, गिरने के पश्चात अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसपर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा मे जवाबी फायरिंग की गयी। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से हत्या के मुख्य आरोपी कुन्दन पटेल के बायें पैर में गोली लगी जिससे से गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा अभियुक्त द्वारा पुलिस पर की गयी फायरिंग में 30नि0 कमल नयन दुबे, चौकी प्रभारी कस्बा के गर्दन पर गोली छुते हुए निकल गयी जिससे वह घायल हो गये। मुठभेड़ में घायल मुख्य आरोपी व चौकी प्रभारी कस्बा को तत्काल जिला अस्पताल लोढ़ी लाया गया जहां पर चौकी प्रभारी कस्बा का इलाज जारी है तथा खतरे बाहर है जबकि घायल मुख्य आरोपी को डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल लोढ़ी, रॉबर्ट्सगंज से बी0एच0यू ट्रामा सेन्टर रेफर कर दिया गया है।

गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त कुन्दन पटेल उर्फ विशाल पुत्र बबुन्दर पटेल निवासी बभनगवां, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र से पूछताछ करने पर उसने घटना में संलिप्त अन्य दो साथियों लवकुश हरिजन पुत्र रामनरायण निवासी ग्राम नौडीहा, थाना पन्नूगंज, सोनभद्र तथा नागेन्द्र सिंह पटेल पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम गिरियां, थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र का नाम लेते हुए बताया कि हम लोगों ने साजिश रच कर दिनांक 10.08.2024 को मेरे रिश्ते के मौसा धर्मेन्द्र सिंह पटेल के घर में घुस कर उनकी व उनके पत्नी की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी तथा वहां से सोने व चांदी के आभूषण कीमत लगभग 15 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये नगद व 01 अदद रिवाल्बर 32 बोर व 06 अदद जिन्दा कारतूस, हिसाब-किताब की डायरी, बैंक खातों के पासबुक व चेकबुक तथा भिन्न-भिन्न नामों के

ब्लैंक चेक उठा ले गये थे। हत्या के कारण के विषय में और कड़ाई से पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे मौसा मेरे जरिये कई लोगों को ब्याज पर पैसे दे रखे थे जिसका ब्याज हर महीने मैं वसूल कर उन्हें दिया करता था तथा उन्होंने मुझे भी करीब 04 लाख रुपये ब्याज पर दे रखे थे जिसका ब्याज प्रत्येक महीने मैं उन्हें नगद दिया करता था इस लेन देन का हिसाब किताब उनके द्वारा एक डायरी में अंकित किया गया था व जिन्हे भी ब्याज पर पैसा दिया गया था उनसे ब्लैंक चेक लिया गया था तथा मुझे इस बारे में जानकारी थी कि उनके पास काफी मात्रा में नगद व जेवरात हैं। उनके द्वारा मेरे जरिये ब्याज पर बाटे गये पैसे उनके पास मौजूद नगद व जेवरात के लालच में आकर मेरी नियत खराब हो गयी तब मैंने अपने उपरोक्त साथियों के साथ साजिश रच कर हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। अन्य 02 साथियों के विषय में पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह उरमौरा के पास मेरा इंतजार कर रहे हैं मैं उन्ही से मिलने जा रहा था। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अन्य 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 109(1), 3(5), 309(6), 332(क) भारतीय न्याय संहिता तथा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। विवेचना प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कुन्दन पटेल पुत्र बबुन्दर पटेल निवासी बभनगवां, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र उम्र 24 वर्ष।
2. लवकुश पुत्र रामनरायन निवासी नौडीहा, थाना पन्नूगंज, सोनभद्र उम्र लगभग 22 वर्ष।
3. नागेन्द्र सिंह पटेल पुत्र फूल सिंह पटेल निवासी गिरियां, थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र उम्र लगभग 26 वर्ष।

### अभियुक्त कुन्दन का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-21/2024 धारा 419, 420, 386, 504, 506 भादवि थाना अदलहाट, मीरजापुर।

### अभियुक्त नागेन्द्र पटेल का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-21/2024 धारा 419, 420, 386, 504, 506 भादवि थाना अदलहाट, मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0-22/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अदलहाट, मीरजापुर।
3. मु0अ0सं0-2/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र।
4. मु0अ0सं0-189/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट भादवि थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र।
5. मु0अ0सं0-471/2022 धारा 3(2)वी, 323, 363, 366 376, 504 भादवि ¼ पाक्सों एक्ट थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र।
6. मु0अ0सं0-747/2022 धारा 399, 402 भादवि थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र।

### \*बरामदगी का विवरण-\*

1. सोने वा चांदी के जेवरात कीमत करीब 15 लाख रुपया।
2. 1.39 लाख रुपये नगद
3. 01 अददर रिवाल्बर 32 बोर, 03-03 अदद खोखा/जिन्दा कारतूस।
4. एक अदद 315 बोर तमंचा 02 अदद जिन्दा कारतूस।
5. मृतक की डायरी, ब्लैंक चेकबुक, पासबुक।
6. घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक।
7. आला कत्ल चाकू।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. सत्येन्द्र कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना रा०गज जनपद सोनभद्र मय टीम ।
2. निरीक्षक श्री राम स्वरूप वर्मा प्रभारी स्वाट / एस०ओ०जी० जनपद सोनभद्र मय टीम ।
3. उ०नि० नागेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस जनपद सोनभद्र मय टीम ।
4. उ०नि० राजेश जी चौबे, चौकी प्रभारी रेनुकूट ।
5. उ०नि० कमलनयन दुबे, चौकी प्रभारी कस्बा, रॉबर्ट्सगंज मय टीम ।
6. उ०नि० चन्द्रशेखर यादव, साइबर थाना, सोनभद्र ।
7. उ०नि० संतोष कुमार सिंह, चौकी प्रभारी नई बाजार, थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र ।

श्रीमान् पुलिस उप महानिरीक्षक विन्ध्याचंल परिक्षेत्र मीरजापुर महोदय द्वारा घटना का सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम को 25,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है ।